**राजस्थान सरकार**
**वित्त (जीएण्डटी) विभाग**

**क0: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013** **जयपुर दिनांक : 2 MAY 2022**

# परिपत्र

**विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अनुसरण में उपापन संबंधी सूचनाओं के राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन।**

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 व 13.05.2020 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं Rules, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से संबंधित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों यथा RTPP Rule 57(1)(i) के अनुसार तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के परिणाम, वित्तीय मूल्यांकन का परिणाम एवं नियम 71 के अनुसार संविदा के अधिनिर्णय की सूचना (Work Order) आदि का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा किये गये उपापनों से संबंधित बकाया अभिलेखों यथा तकनीकी, वित्तीय चार्ट का विवरण तथा बकाया कार्यादेशों के विवरण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से यथाशीघ्र प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा निर्देशों की पालना के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित करावें। साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावें।

**उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।**

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. सचिव,राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव